यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खंड, लोक निर्माण विभाग, नई टिहरी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खंड, लोक निर्माण विभाग, नई टिहरी के माह 11/2019 से 10/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आर°एन° यादव/सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री पी°के° श्रीवास्तव/सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री हरिओम/सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ) द्वारा दिनांक 05/11/2020 से 12/11/2020 तक एवं 17/11/2020 से 19/11/2020 श्री जे°एम°एस° रावत/वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1.परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री अक्षय कुमार/स°ले°प°अ° एवं श्री भारत सिंह/स°ले°प°अ° एवं श्री शरद चौधरी/स°ले°प°अ°(त°) द्वारा दिनांक 04.11.2019 से 16.11.2019 तक श्री रणवीर सिंह चौहान/वरि°ले°प°अ° के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में निष्पादित की गयी थी। जिसमें माह 08/2018 से 10/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

(i**) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** जनपद टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत प्रतापनगर एवं जाखणीधार क्षेत्र के अंतर्गत मार्गों का निर्माण कार्य।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों मे बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निमन्वत हैं।

(` लाख में)

वर्ष	लेखा शीर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (+)
		स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2018-19	2059, 2216, 3054, 4059, 5054	---	---	617.66	320.42	1500.55	1500.55	----	----
2019-20	2059, 2245, 3054, 4059, 5054	---	---	524.32	518.76	3218.42	1786.71	----	1437.77
2020-21 (up to 10/2020)	2059, 2216, 3054, 4059, 5054	---	---	543.60	457.65	2578.06	1701.98	----	876.08

(ब) केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैं-

(` लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	आधिक्य	बचत
2018-19	**शून्य**					
2019-20						
2020-21 (up to 10/2020)						

2. इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार के विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई **'अ'** श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग
अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग
अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग

3. लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नई टिहरी** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नई टिहरी** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। लेखा परीक्षा द्वारा व्यय विवरण एवं प्राप्ति के आधार पर सर्वाधिक व्यय वाले माह **फरवरी 2020 को विस्तृत जांच एवं विश्लेषण हेतु** चयनित किया गया। इसी प्रकार सर्वाधिक व्यय वाले कार्य "**मोटना-मदननेगी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य"** का विस्तृत जांच हेतु चयन किया गया।

4. लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 , लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियमन-2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

5. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में माह 02/2020 में निरीक्षण किया गया।

6. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह **03/2020** तथा **03/2020** तक की गई।

7. फार्म 51: माह (**लेखापरीक्षा अवधि में फार्म-51 प्रेषित नहीं किये गये थे)** तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैः-

भाग प्रथमः ₹ -
भाग द्वितीयः ₹ -

8. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह **10/2020** के अन्त में

(क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम - ₹ 916072.00
(ख) सामग्री क्रय – Nil
(ग) नगद परिशोधन - Nil
(घ) निक्षेप- ₹ 16867465.00
(ङ) भण्डार- ₹ 13809497.00

भाग-II (अ)

प्रस्तरः1- दस किमी0 मोटरमार्गनिर्माण के सापेक्ष मात्र 1.50 किमी0 मार्गनिर्माण (मात्र पहाड़ कटान) पररू0 118.31 लाख व्यय होने के बादकार्यअवरुद्ध होना।

जनपदटिहरी गढवाल के प्रतापनगर विधान सभा के अन्तर्गत कोटाडा-पणसूत-शुक्री मोटरमार्ग शुक्री से पोखरी खिट्टातक 10 किमी0 लम्बाई में मोटर मार्ग निर्माण हेतु माह मार्च 2010 में ` 380.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी एवं माह 10/2010 में ` 62.90 लाख एवं माह 10/2013 में ` 29.55 लाख की प्राविधिक स्वीकृति मुख्य अभियन्ता द्वारा प्रदान की गयी थी।

अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, नई टिहरी की लेखापरीक्षा (माह नवम्बर 2020) में पाया गया कि उपरोक्त मार्ग के निर्माण हेतु कुल चार अनुबन्ध (अनुबन्ध संख्या 357 दि0 07/03/2011, 378 दि0 08/03/2011,01 दि0 02/04/2011 एवं अनुबन्ध संख्या 122 दि0 23/09/2011) सेतु सहित गठित किये गये थे एवं इन पर कुल ` 65.00 लाख का व्यय किया जा चुका था एवं इसके अतिरिक्त भूमि अध्याप्ति, प्रतिकर एवं अन्य व्यय सहित कुल ` 118.31 लाख का भुगतान किया जा चुका था। लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि खण्ड द्वारा सम्पूर्ण 10.00 किमी0 लम्बाई में मार्ग निर्माण के सापेक्ष मात्र 1.50 किमी0 लम्बाई में ही कार्य किया गया था वो भी मात्र पहाड़ कटान का कार्य किया जा सका था जबकि शेष 8.50 किमी0 लम्बाई मे आरक्षित भूमि होने के कारण वनभूमि की सहमति न मिलने पर कार्य रोक दिया गया। खण्ड द्वारा लेखापरीक्षा के दौरान कार्य से सम्बन्धित विस्तृत आगणन एवं प्राविधिक स्वीकृति पत्र भी प्रस्तुत नही किया गया था।

लेखापरीक्षा में पूछे जाने पर खण्डीय आख्या में स्वीकार किया गया कि 1.50 किमी0 के आगे आरक्षित भूमि होने के कारण वन विभाग की सहमति नही थी एवं कार्य को निरस्त करने हेतु पत्र लिखा गया है। स्पष्ट था कि खण्ड द्वारा भूमि अपने पक्ष में किए बिना ही कार्य प्रारम्भ कर दिया गया परिणाम स्वरूप शुक्री से पोखरी तथा पोखरी से खिट्टा तक के ग्रामीण आज भी सड़क की सुविधा से वंचित है एवं निर्मित 1.50 किमी0 भी मात्र पहाड़ कटान कर कच्चा छोड़ दिया गया था एवं आगे कार्य बन्द था।

अतः वर्ष 2011 के बाद से कार्य पर कोई अनुबन्ध गठित न किया जाना एवं मूल स्वीकृति से 10 वर्ष व्यतीत होने के बाद भी अपूर्ण मार्ग पर रू0 118.31 लाख के निष्फल व्यय का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-II (ब)

प्रस्तर:1- विभागीय शिथिलता एवं सर्वे मे कमी के साथ-2 वित्तीय नियमावली का उल्लंघन करते हुये वित्तीय स्वीकृति के 06 वर्ष रु 108.61 लाख व्यय के उपरांत भी कार्य अपूर्ण रहने

As per Financial Handbook Rule Vol-VI:

Clause 383- Where important structural alterations are contemplated, though not necessarily involving an increased outlay, the orders of the original sanctioning authority should be obtained. A revised estimate should be submitted for technical sanction should the alterations involve any substantial change in the cost of the work.

उत्तराखंड शासन द्वारा राज्य योजना के अंतर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल विधान सभा क्षेत्र प्रताप नगर के अंतर्गत रजाखेत मे पार्किंग निर्माण कार्य हेतु रु 209.68 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी (मार्च 2016) जिसकी आंशिक प्राविधिक स्वीकृति रु 152.31 लाख हेतु प्रदान की गयी (सितंबर 2016)। कार्य के निष्पादन हेतु एक अनुबंध (35/SE-8/2016-17 dated 31.12.2016) रु 145.08 लाख हेतु गठित किया गया जिसके अनुसार कार्य समाप्त होने की तिथि 30.12.2017 थी। फार्म-64 (अक्तूबर 2020) के अनुसार कार्य पर वर्तमान तक कुल व्यय रु 108.61 लाख था।

अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खंड , लो0 नि0 वि0,टिहरी के अभिलेखो की लेखापरीक्षा (नवंबर 2020) मे पाया गया कि खंड द्वारा उपरोक्त स्थल पर मूलतः भूमि तल पर ही पार्किंग का निर्माण किया जाना था जिसके लिए आंशिक प्राविधिक स्वीकृति रु 152.31 लाख की प्राप्त की गयी थी किन्तु वित्तीय नियमावली की अवहेलना करते हुये न केवल डिज़ाइन मे परिवर्तन करते हुये दो मंज़िला पार्किंग का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया अपितु मूल स्वीकृति के लिए गठित अनुबंध के तहत ही extra items के रूप मे कार्य कराया गया। डिज़ाइन मे परिवर्तन के कारण मूल स्वीकृति मे प्रविधानित पहाड़ कटान से उत्सर्जित मालवा से रजाखेत पीपल मोटर मार्ग पर स्थित एक अतिरिक्त पार्किंग का कार्य भी नहीं कराया जा सका। पुनः वित्तीय स्वीकृति के 55 माह बाद भी पार्किंग का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका था।

उक्त की ओर इंगित किए जाने पर खंड द्वारा उत्तर मे बताया गया कि पार्किंग के निर्माण हेतु पहाड़ कटान एवं मूल कार्य की प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की गयी थी किन्तु कार्यस्थल की स्थिति एवं कुछ अन्य कारणो से पार्किंग की डिज़ाइन बदलकर दो तल की पार्किंग के निर्माण का प्रविधान किया गया जिसका मूल कार्य पूर्ण कर लिया गया है जबकि प्रथम मंजिल की पार्किंग हेतु एप्रोच मार्ग हेतु अनुबंध गठन की कार्यवाही की जा रही है। कार्य मे देरी एवं ठेकदार पर कोई अर्थदण्ड लेपित न किए जाने के संबंध मे बताया गया कि पहाड़ कटान मे ग्रामीणो द्वारा विवाद एवं अवरोध उत्पन्न करने के कारण कार्य पूर्ण करने मे देरी हुई जिसके हेतु समयावृद्धि सक्षम अधिकारी से प्राप्त है।

खंड का उत्तर स्वीकार्य योग्य नहीं है क्योंकि कार्य के जिस डिज़ाइन हेतु स्वीकृति प्राप्त की गयी है उसके मूल डिज़ाइन मे परिवर्तन होने पर शासन की स्वीकृति एवं तत्पश्चात उक्तानुसार प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी थी। इसके अतिरिक्त अभिलेखो मे पाया गया कि माह सितंबर 2017 तक मलवा एकत्रित कर जिस स्थान पर डाला जाना (Dumping Zone) उस स्थल का चयन नहीं किया गया है क्योंकि जो स्थल विभाग द्वारा दिखाया गया था वहा मात्र 6 मी0 की सड़क थी । पुनः पार्किंग के अवशेष कार्य कराये जाने हेतु वर्तमान की SOR दरो (अधिक लागत) की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

अतः विभागीय शिथिलता के साथ-2 वित्तीय नियमावली कि अवहेलना करते हुये रु 108.61 लाख व्यय के उपरांत भी कार्य अपूर्ण रहने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-II (ब)

प्रस्तरः2- निर्माण के मात्र दो वर्ष के भीतरमार्ग की सतहक्षतिग्रस्त होने के कारण दूसरे अनुबन्ध द्वारा कार्य निष्पादित कर बिटुमिनस मद पर कुल रू0 128.24लाख का व्यय किया जाना तथा वसूली मूल ठेकेदार से नही किया जाना।

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर में स्यांसू-भैंगा-चौधार मोटर मार्ग का सुधारीकरण एवं पी0सी0 द्वारा डामरीकरण कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 19.01.2016 द्वारा लम्बाई 14.00 किमी0 हेतु कुल लागत रू0 1067.74 लाख की प्राप्त हुयी थी। उक्त कार्य की प्राविधिक स्वीकृति मुख्य अभियन्ता, टिहरी क्षेत्र, लो0नि0वि0, नई टिहरी द्वारा दिनांक 02-06-2016 के माध्यम से लम्बाई 14.00 किमी0 हेतु लागत रू0 1067.74 लाख की प्रदान की गयी थी।

अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, नई टिहरी की लेखापरीक्षा (माह नवम्बर 2020) में पाया गया कि उपरोक्त मोटर मार्ग के सुधारीकरण एवं पी0सी0 द्वारा डामरीकरण कार्य हेतु मै0 बालाजी इन्फ्राइन्जीनियरिंग, प्रा0 लि0 के साथ अनुबन्ध संख्या 06/SE-8 दिनांक 29.06.2016 को अनुबन्धित लागत ` 90447414.00 में गठित किया गया, जिसके अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि 29.06.2016 तथा कार्य समाप्ति की तिथि 28.09.2017 थी। अभिलेखों की जांच में पाया गया कि उक्त मोटर मार्ग लम्बाई 14.00 किमी0 में पी0सी0 द्वारा डामरीकरण का कार्य दिनांक 08.12.2017 को पूर्ण किया गया था जिसपर बिटुमिन कार्यों पर ` 127.10 लाख भुगतान किया गया था। जिस पर बिटुमिन कार्यो पर ` 127.10 लाख भुगतान किया गया था परन्तु मार्ग की सतह Defect Liability Period में ही क्षतिग्रस्त हो गयी। ठेकेदार को क्षतिग्रस्त सतह को ठीक करने हेतु कहा गया किन्तु ठेकेदार के द्वारा उक्त क्षतिग्रस्त सतह को ठीक करने में कोई रूचि नही ली गयी।

आगे अभिलेखो की जांच में पाया गया कि विभाग द्वारा उक्त मोटर मार्ग के किमी0 2.0, 3.0, 4.0, 12.0, 13.0, 14.0 में सम्पूर्ण लम्बाई एवं चौड़ाई में क्षतिग्रस्त सतह की मरम्मत का कार्य एस0डी0बी0सी0 द्वारा नया अनुबन्ध गठित कर अनुबन्ध संख्याः 22/SE-8/2018-19 Dated 05.09.2018 (Contractor M/s Vaishali Infrastructure) द्वारा निष्पादित कराया गया तथा मार्ग के अन्य चैनेजों में पी0सी0 द्वारा मरम्मत हेतु अतिरिक्त मद (Extra Item) में ` 4762775.00 का प्राविधान करते हुये सक्षम अधिकारी (मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, नई टिहरी) से स्वीकृति इस आशय से प्राप्त

की गयी कि उक्त कार्य पर होने वाला व्यय की वसूली ठेकेदार मैसर्स बालाजी इन्फ्रास्टक्चर की जमानत धनराशि से की जायेगी। उक्त पी0सी0 मरम्मत कार्य को अनुबन्ध (22/SE-8/2018-19 Dated 05.09.2018) के तहत ही अतिरिक्त मद (Extra Item) के रूप में कराया गया जिस पर चतुर्थ चल देयक (बाउचर सं0 169 दिनांक 27.12.2019) के अनुसार ` 4171708.00 का व्यय किया गया। इस प्रकार उक्त मोटर मार्ग पर ठेकेदार मै0 बालाजीइन्फ्राइन्जीनियरिंग, प्रा0लि0 (अनुबन्ध संख्या 06/अधी0अभि0-8/2016-17 दिनांक 29.06.2016) द्वारा मार्ग की सतह का Defect Liability Period में ही मरम्मत नही किये जाने के कारण क्षतिग्रस्त मार्ग पर दूसरे अनुबन्ध (22/SE-8/2018-19 Dated 05.09.2018) द्वारा कार्य निष्पादित कर `41.72 लाख का व्यय किया गयाजिसकी वसूली सम्बन्धित ठेकेदार मै0 बालाजी इन्फ्राइन्जीनियरिंग, प्रा0 लि0 से नही की जा सकी थी।

उक्त के सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर खण्ड द्वारा स्वीकार किया गया कि ठेकेदार मै0 बाला जी इन्फ्राइन्जीनियरिंग, प्रा0लि0 को विभाग द्वारा क्षतिग्रस्त सतह की मरम्मत किये जाने हेतु पत्र लिखे गये थे परन्तु ठेकेदार द्वारा मरम्मत कार्य नही कराया गया। खण्ड द्वारा आगे बतलाया गया कि विभाग के पास जमानत धनराशि के रूप में ` 5234217.55 जमा है जिसकी वसूल करने की कार्यवाही गतिमान है। खण्ड का उत्तर लेखापरीक्षा में मान्य नही था क्योकि मूल ठेकेदार के बिल का अंतीमीकरण किये हुये 2.5 वर्ष से अधिक व्यतीत होने के बाद भी वसूली नही की जा सकी ।

अतः निर्माण के मात्र दो वर्ष के भीतरमार्ग की सतह क्षतिग्रस्त होने के कारण दूसरे अनुबन्ध द्वारा कार्य निष्पादित कर ` 41.72 लाख का व्यय किया जाना तथा वसूली मूल ठेकेदार से नही किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-II (ब)

प्रस्तर:3- वित्तीय स्वीकर्ति के 04 वर्ष से अधिक अवधि व्यतीत होने के उपरान्त भी कार्य का अपूर्ण रहना।

उत्तराखंड शासन द्वारा जनपद टिहरी गढ़वाल मे विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर मे दियूली बैन्ड म्यूण्डी मन्दार मिसिंग लिंक (3.725 किमी + 15 मी स्पान सेतु) के नव निर्माण हेतु ` 297.58 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी (जुलाई 2016) जिसकी आंशिक प्राविधिक स्वीकृति मार्ग लंबाई 3.725 किमी हेतु रु 217.44 लाख हेतु ही प्रदान की गयी (दिसंबर 2016)। लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गए अभिलेखो के अनुसार कुल 10 अनुबंध ` 59.95 लाख हेतु गठित किए गए थे तथा फार्म-64 (माह अक्तूबर 2020) के अनुसार कार्य पर कुल व्यय ` 225.20 लाख था।

अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खंड , लो0 नि0 वि0, टिहरी के अभिलेखो की लेखापरीक्षा (नवंबर 2020) मे पाया गया कि खंड द्वारा न केवल उपरोक्त वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष मात्र ` 59.95 लाख की धनराशि हेतु ही अनुबंध गठित किए गए अपितु उक्त प्राविधिक स्वीकृति के सापेक्ष ` 225.20 लाख का व्यय दिखाया गया जो प्राविधिक स्वीकृति से 7.77 लाख अधिक थे तथा उक्त अनुबन्धो के सापेक्ष कोई भुगतान बिल लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया था।

उक्त की ओर इंगित किए जाने पर खंड द्वारा उत्तर मे बताया गया कि पूर्व मे सेतु को छोड़कर प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की गयी थी किन्तु ग्रामीणो द्वारा विवाद एके कारण अनुबंध गठित किए जाने मे देरी हुई। प्राविधिक स्वीकृति से अधिक व्यय के संबंध मे खंड द्वारा बताया गया कि त्रुटिवश अन्य मोटर मार्ग के देयक भारित हो गए हैं जिसका सुधार किया जा रहा है। स्वीकृत 3.725 किमी के सापेक्ष 3.2 किमी मे पहाड़ कटान का कार्य सम्पन्न किया जा चुका है एवं पार्ट-2 का कार्य प्रगति मे है जबकि 15 मी0 स्पान के सेतु हेतु प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त किए जाने की कार्यवाही गतिमान है। कार्य पर कुल अद्यतन व्यय ` 198.00 लाख था।

खंड का उत्तर स्वीकार्य योग्य नहीं है क्योंकि खंड द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर भी अनुबंध की कुल लागत ` 74.31 लाख ही थी जिसके सापेक्ष मात्र 03 अनुबन्धो का अन्तिमीकरण किया जा सका था जबकि 08 अनुबंधों में वर्तमान में कार्य गतिमान है एवं 02 अनुबन्धो के सापेक्ष कोई भुगतान नहीं किया गया था। खंड कार्य पर कुल व्यय रु 198.00 लाख का होना बताया गया जो गठित अनुबंध से अप्रत्याशित रूप से 123.66 लाख अधिक थे। खंड द्वारा उपलब्ध कराई गयी अनुबंधित धनराशि एवं वास्तविक अनुबंध की धनराशि मे भी अंतर पाया गया। खंड द्वारा व्यय धनराशि के संबंध मे कोई भी भुगतान बिल प्रस्तुत/संलग्न नहीं किया गया जो खंड द्वारा किए गये व्यय का न केवल वित्तीय

नियमो के विरुद्ध अपितु एक संदेहात्मक व्यय ओर इंगित करता है। खंड द्वारा सेतु निर्माण हेतु भी अभी तक प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त नहीं की जा सकी है जिसके बिना सेतु का निर्माण संभव नहीं है। अतः बिना सेतु निर्माण के मार्ग का उपयोग संभव नहीं है।

अतः वित्तीय स्वीकृति के 04 वर्ष से भी अधिक समय व्यतीत होने के उपरान्त भी मार्ग निर्माण का कार्य अपूर्ण रहने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-।।।

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम संख्या	निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरका विवरण		
		भाग –II (अ)	भाग –II (ब)	STAN
1.	10/2002-03	03	04	-
2.	02/2003-04	-	01	-
3.	13/2007-08	1	-	-
4.	57/2008-09	-	02	-
5	81/2010-11	1,2	2,3	-
6	90/2011-12	-	1,2,3	-
7	73/2012-13	1,2	01	-
8	48/2014-15	1,2	01	-
9	86/2015-16	-	01,02	-
10	100/2016-17	-	01	-
11	59/2017-18	-	1,3,4,5	-
12	39/2018-19	01	01,02,03	-
13	79/2019-20	01,02	01,02,03	-

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या		अनुपालन आख्य	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
	भाग – II(अ)	भाग –II (ब)			
10/2002-03	03	04	अनुपालन आख्या कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखंड, देहरादून को प्रेषित की गई	शून्य	---
02/2003-04	-	01			
13/2007-08	1	-			
57/2008-09	-	02			
81/2010-11	1,2	2,3			
90/2011-12	-	1,2,3			
73/2012-13	1,2	01			
48/2014-15	1,2	01			

86/2015-16	-	01,02	है।		
100/2016-17	-	01			
59/2017-18	-	1,3,4,5			
39/2018-19	01	01,02,03			
79/2019-20	01,02	01,02,03			

भाग- IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

--- शून्य ---

भाग-V

आभार

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, टिहरी** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

(i)

1. सतत् अनियमितताएः शून्य

2. विगत लेखा परीक्षा से वर्तमान तक निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया।

क्रम सं	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
1.	श्री के0 एस0 नेगी	अधिशासी अभियन्ता	03/07/2016 से वर्तमान तक।

3. विगत लेखा परीक्षा से वर्तमान तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।

क्रम सं	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
1.	श्री विपिन कुमार	खंडीय लेखाधिकारी	विगत लेखापरीक्षा से वर्तमान तक।

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, टिहरी** को इस आशय से प्रेषित की गई है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार, ए.एम.जी.-II (Non-PSU), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखंड,महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून-2481095 को प्रेषितकिया जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

ए.एम.जी.-II (Non-PSU)